

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

लालचन्द पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी चक 5 एसएचपीडी (बी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर  
बनाम

ओमप्रकाश पुत्र भेराराम पुत्र (फौत) जरिये कारिस रविन्द्र आदि रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 18 सूरतगढ  
तहसील सूरतगढ

किस्म मुकदमा- रेफरेन्स प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज.भू. राजस्व अधि0 1956 प्रकरण संख्या 46 / 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मध्य दृनिशियत्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हए
15-09-2020	यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री बाबूलाल चाण्डक इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसील से रिपोर्ट मंगवाई जावे। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16-10-20 को पेश हो। 3	817 16-10-20
16-10-20	जर संघ में कार्य स्थगित रखा। ADM साहब प्रम/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21-12-20 को पेश हो।	
7 12/20	जर संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब प्रम/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16-12-20 को पेश हो।	
18 12/20	जर संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब प्रम/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 18-12-20 को पेश हो।	1170 19.01.21
18 07/21	ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 27-01-21 को पेश हो।	
27-1-21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपाय रिलीफ की रिपोर्ट पर सम्मन वापस ली गई। वकील की रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है। पत्रावली दिनांक 01-3-21 को पेश हो।	
1 2/21	ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 22-3-21 को पेश हो।	
22 3/21	ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 23-4-21 को पेश हो।	

# फद अहकाम

दिनांक

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न्यायालय की तारीख
31 $\frac{10}{23}$	पत्रा. पेश। वकील जामी हाजिर। कोर्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं। फन: स्मरण पत्र जारी होकर पत्रा. दि. 18-12-23 को पेश हो।	31
18/12/23	पत्रा. पेश। वकील जामी हाजिर। कोर्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं। स्मरण पत्र जारी होकर पत्रा. दि. 06/02/24 को पेश हो।	31
6/2/24	<p>बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब भ्रमण/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/3/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Nas</p>	
20-3-24	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी लेंडिंग 11/1 वा 113 की तलबी प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी को फन: नोटिस प्रस्तुत करने की हिदायत दी जाकर पत्रावली वाले रिपोर्ट तलबी हेतु दिनांक 22-4-2024 को पेश हो।</p>	
22 $\frac{4}{24}$	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 22-5-24 को प्रस्तुत हो।</p>	
22 $\frac{5}{24}$	<p>बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब भ्रमण/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 24-7-24 को पेश हो।</p>	
24 $\frac{6}{24}$	<p>ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 16-7-24 को पेश हो।</p>	
16 $\frac{7}{24}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा अज्ञात कारणों से अप्रार्थीगण की तलबी हेतु स्मरण पत्रावली का अवलोकन पत्रावली दिनांक 11/1 वा 113 की तलबी अज्ञातरीत प्राप्त हुई है। अतः वकील प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि वे आगामी तारीख पेशी के पूर्व जज बार्ड स्थापना में बाधक के कारण से तारीखी बकाये। वकील प्रार्थी से हिदायत दी गई कि राज्य सरकार की 5.0.1 दिनांक 13-5-2024 में जारी निर्देशों से पानना में दो प्रतिलिपि स्तर अद्ययावत में अद्ययावत साधन के तहत पत्रावली दिनांक 31-7-2024 को पेश हो।</p>	<p>461 16-7-24</p>

# फर्द अहकाम

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख में

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

31-7-24

पत्रावली पेडा ईई/ उच्चपदा उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 25-5-22  
से जैस्कार हो जिल पर प्रार्थी के अधिकाधिक  
को कार-2 तलबी करवाने की हिदायत दी गई।  
पत्रावली वास्ते तलबी 2 वर्षों से जैस्कार होने  
के कारण प्रार्थी अधिकाधिक को न्यायस्थल में  
दिनांक 16-7-2024 को राज्य सरकार की  
आदेश राजस्व (अप-6) विभाग जयपुर, प. 3/22  
राज. 6/2024 / जयपुर दिनांक 13-5-2024 द्वारा  
जारी निर्देशों के अनुसरण में अप्रार्थी 11/ब  
11/3 की तलबी शर्तीय तलब के दो आखबार  
में करवाने के आदेश दिये गये। इसके  
बावजूद प्रार्थी अधिकाधिक ने अप्रार्थी  
नच 11/ब 11/3 की तलबी आज दिनांक तक  
नहीं करवायी गयी जो सी.पी.सी के प्रावधानों  
के मुताबिक पत्रावली तलबी अभाव में  
स्वार्ज किया जाना उचित है।  
अतः पत्रावली तलबी अभाव में स्वार्ज  
की जाती है। पत्रावली नम्बर ले कर  
होकर दायित्व दफतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
जयपुर (जिला-सी संगानगर)